संख्या-300/2026/I/1408179/2026/006/23-6099/25/2024

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कानपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 05 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कानपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 05 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 1218.27 लाख (रूपये बारह करोड अटठारह लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक | खण्ड/ जनपद का नाम | कार्य | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अवशेष | आवंटन धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 23612/CE-SEB/RYB/KNP/2026-27 Dt- 08-07-2026 | नि.ख.-2 कानपुरनगर | कल्यानपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतनपुर छठपूजा स्थल पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। | 344/2025/आई/1145165/2025/23-6099/178/2025-दिनांक-17-11-2025 | 499.34<br>486.37<br>3.93<br>482.44 | 99.67 | 382.77 | 236.37 | 63.63 | 300.00 |
| 2 | तदैव | नि.ख.-2 कानपुरनगर | जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड ककवन के अन्तर्गत ग्राम कसिगवाँ एवं नया निवादा मार्ग के मध्य पाण्डु नदी पर 3x12.50 मी0 आर0सी0सी0 सेतु एवं पहुँच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। | 400/2025/आई/1188593/2025/23-6099/238/2025-दिनांक-29-12-2025 | 556.51<br>556.46<br>3.06<br>553.40 | 8.45 | 544.95 | 218.01 | 58.69 | 276.70 |
| 3 | तदैव | नि.ख.-2 कानपुरनगर | जनपद कानपुर नगर में रमईपुर कैंधा सचेण्डी धरमंगदपुर भाऊपुर मार्ग के कि0मी0-3 में में निचली गंगा नहर पर (1×30.00) मी0 स्पाँन की आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य | 95/2026/आई/1269924/2026/23-6099/68/2026-दिनांक-17-03-2026 | 582.91<br>582.91<br>6.24<br>576.67 | 2.65 | 574.02 | 227.18 | 61.16 | 288.34 |
| 4 | तदैव | नि.ख.-2 कानपुरनगर | जनपद कानपुर नगर में रमईपुर कैंधा सचेण्डी धरमंगदपुर भाऊपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0-21 में निचली गंगा नहर पर (1×30.00) मी0 स्पाँन की आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य | 95/2026/आई/1269924/2026/23-6099/68/2026-दिनांक-17-03-2026 | 633.13<br>633.11<br>6.64<br>626.47 | 2.75 | 623.72 | 246.79 | 66.44 | 313.23 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23677 /CE-SEB/RYB/KNP/2026-27 Dt- 10-07-2026 | नि.ख. फर्रूखाबाद | कुम्हरौर से खुशहाली नगला वाया नगला पंचम सम्पर्क मार्ग के दो कटानों में 2 नग बाक्स टाइप कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य। | 344/2025/आई/1145165/2025/23-6099/178/2025 -दिनांक-17-11-2025 | 163.68<br>163.68<br>6.89<br>156.79 | 30.05 | 126.74 | 31.52 | 8.48 | 40.00 |
| **कुल योग** | | | | | | | | **959.87** | **258.40** | **1218.27** |

## नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ( 1 ) रुपये 9,59,87,000 ( रुपये नौ करोड़ उनसठ लाख सत्तासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 2,58,40,000 ( रुपये दो करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।